

पत्र संख्या-7/आ0नि0-018-10/2003 का.-7072

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

मुख्त्यार सिंह,
सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,
झारखण्ड, रांची।

विषय :

रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003
झारखण्ड के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र धारक आवेदकों द्वारा दूसरे राज्य से लेकर जाति प्रमाण पत्र के मान्यता के संबंध में।

महोदया,

प्रासंगिक पत्र की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि प्रासंगिक विषय पर विधि विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया।

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं के रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के नियम-14 के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :-

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षाओं में आरक्षण का लाभ केवल वैसे अभ्यर्थियों को दिया जाय जो झारखण्ड राज्य के लिए भारतीय प्रमाण पत्र की अनुसूची (V) एवं (VI) में झारखण्ड राज्य के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित किये गये हैं और पिछड़े वर्गों की वैसे जातियों जिनका उल्लेख प्रासंगिक अधिनियम में है। आरक्षण का लाभ तभी दिया जाय जब अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, जो कम-से-कम झारखण्ड पदाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे। ऐसा प्रमाण पत्र झारखण्ड राज्य बनने के पूर्व अगर झारखण्ड क्षेत्र के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो उस समय झारखण्ड क्षेत्र में पारदर्भापित थे, जाति का प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसकी भी भी मान्यता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(मुख्त्यार सिंह)

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापक-7/आ0नि0-018-10/2003 का.-7072/रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003
प्रतिलिपि-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी सपायुक्ता/अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ प्रेषत।

ह0/-

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।

ज्ञापक-7/आ0नि0-018-10/2003 का.-7072/रांची, दिनांक 30 दिसम्बर, 2003
प्रतिलिपि-सचिव, उद्योग से अनुरोध है कि राज्य के अधीन सभी लोक संपादकों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

ह0/-

सरकार के आयुक्त एवं सचिव।